

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1153
सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

पेंशनभोगी कल्याण और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

†1153. श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

श्री आलोक शर्मा:

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री काली चरण सिंह:

श्री शंकर लालवानी:

श्री राजकुमार चाहर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्मचारी पेंशन योजना-95 (ईपीएस-95) न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव से जुड़ी अंतिम स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 का ब्यौरा क्या है और आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने में इसकी उपयोगिता क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने पोर्टल पर आधार जैसे पेंशनभोगी रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है; और
- (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सदस्यों के लिए 50 वर्ष की आयु से शीघ्र पेंशन शुरू करने के संबंध में 2025 में लागू किए गए नए नियमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान और (ii) केंद्र सरकार द्वारा 1500/-रु. प्रतिमाह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान से बनता है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसी संचित निधि से किया जाता है। इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है और दिनांक 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें बीमांकिक घाटा है। सरकार पेंशनभोगियों को ईपीएस, 1995 के तहत 1000 रु.

जारी..2/-

प्रतिमाह न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, जिसे बजटीय सहायता द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को प्रति वर्ष ईपीएस के तहत वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिरता के साथ-साथ भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ द्वारा संचालित की जा रही ईपीएफ योजना, 1952, ईपीएस-95 और ईडीएलआई योजनाओं के माध्यम से, इन योजनाओं के सदस्यों को ठोस सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख): पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीपीपीडब्ल्यू) द्वारा देशव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 आयोजित किया गया। ईपीएफओ ने भी इस अभियान में भाग लिया। अभियान अवधि के दौरान, आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को शिविरों और सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। परिणामस्वरूप, नवंबर 2025 के दौरान लगभग 46% डीएलसी आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सृजित किए गए।

(ग): पेंशनभोगियों का आधार, जहाँ पहले से उपलब्ध न हो, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सफलतापूर्वक अपडेट होते ही, ईपीएफओ डेटाबेस में सीड हो जाता है।

(घ): ऐसा कोई नियम वर्ष 2025 में लागू नहीं किया गया है। हालाँकि, यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुच्छेद 12(7) के अनुसार, कोई सदस्य जब नौकरी छोड़ता है और पेंशन के लिए पात्र सेवा कर चुका होता है, यदि वह चाहे, तो उसे 58 वर्ष की आयु से पहले किसी तिथि से, परंतु 50 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं, समयपूर्व पेंशन आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, 58 वर्ष की आयु से कम प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन की राशि को चार प्रतिशत की दर से घटा दिया जाता है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1153
TO BE ANSWERED ON 08.12.2025**

PENSIONERS' WELFARE AND DIGITAL LIFE CERTIFICATE

1153. SHRI TEJASVI SURYA:

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY:

SHRI ALOK SHARMA:

SHRI ANIL FIROJIYA:

SHRI KALI CHARAN SINGH:

SHRI SHANKAR LALWANI:

SHRI RAJKUMAR CHAHAR:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) the details of the final status of the proposal to increase the minimum Employee Pension Scheme-95 (EPS-95) pension to Rs. 7,500 per month;**
- (b) the details of the Nationwide Digital Life Certificate (DLC) Campaign 4.0 and its usefulness in promoting Aadhaar-based Face Authentication;**
- (c) whether the Government has simplified the process for updating pensioner records, such as Aadhaar, on the portal; and**
- (d) the details of the new rules introduced in 2025 regarding early pension commencement from age 50 years for Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) members?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a): Employees' Pension Scheme, 1995 is a 'Defined Contribution-Defined Benefit' Social Security Scheme. The corpus of the Employees' Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) 1.16% contribution from Central Government on wages upto Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of EPS, 1995 and as per the valuation of the fund as on 31.03.2019, there is an

Contd..2/-

actuarial deficit. The Government is providing a minimum pension of Rs.1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees' Provident Fund Organization (EPFO). The Government of India is committed to provide robust social security coverage through EPF Scheme, 1952, EPS-95 and EDLI Schemes being run by EPFO, to the members of these schemes, taking into consideration the sustainability of the respective funds as well as the future liabilities thereon.

(b): Nationwide DLC Campaign 4.0 was conducted by Department of Pension & Pensioners' Welfare (DPPW). EPFO also participated in this campaign. During the campaign period, Aadhaar-based Face Authentication was promoted through camps and social media. As a result, around 46% DLCs were generated through Aadhaar-based Face authentication during the month of November, 2025.

(c): Pensioner's Aadhaar, where not already available, gets seeded in the EPFO database, as soon as a Digital Life Certificate is successfully updated.

(d): No such rule has been introduced in 2025.

However, it is informed that as per para 12(7) of the Employees Pension Scheme 1995, a member upon exit from employment and having rendered eligible service for pension, if he so desires, may be allowed to draw an early pension from a date earlier than 58 years of age but not earlier than 50 years of age. In such cases, the amount of pension is reduced at the rate of four per cent, for every year the age falls short of 58 years.
